प्रश्न सं. [क्र. 2079]

तारांकित प्रश्न क्र. 2079 का परिशिष्ट-1

~~परिशिष्ट-ब~~

शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक/राशिके/स्था./2018/5957 भोपाल,दिनांक 14-9-18

प्रति

कलेक्टर
समस्त जिले
मध्यप्रदेश

विषयः—जिला परियोजना समन्वयक के रिक्त पद का प्रभार सौंपे जाने बावत।
संदर्भः—राज्य शिक्षा केन्द्र का पत्र क्र./राशिके/नियु./2012/6754, दिनांक 06.07.2012

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें राज्य शासन के निर्णयानुसार जिले में जिला परियोजना समन्वयक का पद रिक्त होने की स्थिति में जिला परियोजना समन्वयक का प्रभार जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपे जाने का लेख किया गया था, किन्तु कुछ जिलों में जिला परियोजना समन्वयक के रिक्त पद का प्रभार जिला शिक्षा अधिकारी को न सौंपते हुए अन्य अधिकारी को सौंपा जा रहा है।

अतः पुनः अनुरोध किया जाता है, कि जिन जिलों में जिला परियोजना समन्वयक का पद रिक्त है, उन जिलों में शासन स्तर से पदपूर्ति होने तक वैकल्पिक व्यवस्थान्तर्गत जिला परियोजना समन्वयक का प्रभार अनिवार्यतः जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपने का कष्ट करें।

(आईरीन सिंथिया जे.पी.)
संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र

पृ.क्रमांक/राशिके/स्था./2018/5958 भोपाल,दिनांक 14-9-18

प्रतिलिपिः—

1. निज सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग/आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, समस्त जिलों की ओर सूचनार्थ।
5. जिला परियोजना समन्वयक,जिला शिक्षा केन्द्र, समस्त जिलों की ओर सूचनार्थ।

संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग

तारांकित प्रश्न क्र. 2079 का   "परिशिष्ट - दो"

कार्यालय प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बम्होरी बीका, सागर

Mail id – hssbamhoribika@gmail.com   Dise code-23111009408   School code-241009

क्रमांक / स्था01 / प्राचार्य हाई. / 2021 / [illegible]   बम्होरी बीका दिनांक 16.02.2021

प्रति,

जिला शिक्षाधिकारी,

सागर जिला–सागर

विषय– श्री यू.बी.एस. गौर प्राचार्य हाईस्कूल रिछावर की अनाधिकृत अनुपस्थिति की वसूली विषयक।

संदर्भ– आपके कार्यालय से दूरभाष पर चाही गई जानकारी।

---000---

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित दूरभाष के परिपालन में श्री यू.बी.एस. गौर प्राचार्य हाईस्कूल रिछावर की अनाधिकृत अनुपस्थिति की वसूली आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक 4543 दिनांक 23.07.2020 के अनुसार दिनांक 09.01.2018 से 14.08.2018 तक की अवैतनिक राशि 666915 रु. अंकन छः लाख छियासठ हजार नौ सौ पंद्रह रुपये एवं एवं दो वेतनवृद्धि 01.07.2019 से 30.06.2020 का गणना पत्रक राशि 37856 रु. अंकन सैंतीस हजार आठ सौ छप्पन रुपये एवं देय वेतनवृद्धि 01.07.2020 शासन द्वारा अप्रदत्त है। इस प्रकार कुल राशि 666915 रु. एवं 37856 रु. कुल 704771 रु. अंकन सात लाख चार हजार सात सौ इकहत्तर रुपये को 24 समान किस्तों में विभाजित कर प्रति किस्त 29365 रु. प्रतिमाह वसूल की जा रही है। जबकि सितंबर 2020 में 20000रु. एवं अक्टूबर 2020 से 29365 रु. निरंतर वसूल किये जा रहे है। इस प्रकार विगत पाँच माह में 137460 रु. अंकन एक लाख सैंतीस हजार चार सौ साठ रुपये की राशि वसूल की जा चुकी है। शेष 567311 रु. की राशि नियमित 19 माह की किस्तों में वसूल की जायेगी।

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग

16/2/21
प्राचार्य
शा.उ.मा.वि. बम्होरी बीका
GOVT. HR. SEC. SCHOOL
BAMHORI BIKA, SAGAR

तारांकित प्रश्न क्र. 2079 का परिशिष्ट "3" परिशिष्ट-स

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला सागर

क्रमांक / 124 / जि.शि.के. / सतर्कता / 2021 सागर दिनांक– 17 फरवरी 2021

//आदेश//

विधानसभा तारांकित प्रश्न क. 2079 के संबंध में राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र क / 1030 दिनांक 17.02.2021 से यह संज्ञान में आया कि जिला परियोजना समन्वयक के रिक्त पद का प्रभार जिला शिक्षा अधिकारी को दिये जाने के संबंध में राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र क्र. / रा.शि.के / नियुक्ति / 2012 / 6754 भोपाल दिनांक 06.07.2012 एवं पत्र क्र. / राशिके / स्था. / 2018 / 5957 भोपाल दिनांक 14.09.2018 से निर्देश प्रसारित किये गये हैं।

प्रकरण के परीक्षण में पाया गया कि जिला परियोजना समन्वयक के रिक्त पद के विरूद्ध प्रभार हेतु प्रस्तुत की गई नस्ती में संबंधित शाखा लिपिक द्वारा उक्त शासन निर्देशों को प्रस्तुत न करते हुये तथ्यों को छुपाया गया एवं वरिष्ठ अधिकारियों को भ्रम में रख कर विधि विपरीत आदेश जारी कराया गया। फलतः विधानसभा प्रश्न क 2079 का संशोधित उत्तर प्रेषित करने की स्थिति निर्मित हुई साथ ही राज्य स्तर पर जिले की छवि धूमिल हुई है।

इस हेतु श्री किशोर कुमार खटीक सहा.ग्रेड 03 कार्यालय जिला शिक्षा केन्द्र सागर को दोषी पाया गया है। श्री खटीक का उक्त कृत्य म.प्र.सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के भाग(i)(ii)(iii) का उल्लंघन है।

अत एव म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1966 के नियम 9 के तहत श्री किशोर कुमार खटीक सहा.ग्रेड 03 कार्यालय जिला शिक्षा केन्द्र सागर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में श्री खटीक का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी राहतगढ़ जिला सागर नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

कलेक्टर
जिला–सागर

पृ.क्रमांक / 124 / जि.शि.के. / सतर्कता / 2021 सागर दिनांक– 17 फरवरी 2021

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र.भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र म.प्र.भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त सागर संभाग सागर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सागर।
5. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग सागर की ओर सूचनार्थ।
6. जिला शिक्षा अधिकारी सागर।
7. जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र सागर श्री खटीक सहा.ग्रेड 03 को उक्त आदेश तामील कराकर दिनांकित पावती प्रस्तुत करें।
8. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी राहतगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. संबंधित श्री किशोर कुमार खटीक सहा.ग्रेड 03 कार्यालय जिला शिक्षा केन्द्र सागर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग

4

कलेक्टर
जिला–सागर

Scanned with CamScanner